Tel/ Fax:- 01386-263144, 262322 e-mail:dfo_soillansdowne@rediffmail.com

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन।

पत्रांकः—1418 /12-1 दिनांक, लैन्सडौन, फरवरी, 16 ,2019

सेवा मे,

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड़, कोटद्वार।

**विषयः—** **पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित किमी0 57 के टी02 (ओ0डी0आर0) से मंजोखी मोटर मार्ग 7.600 कि0मी0 के निर्माण हेतु 5.659 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यवर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/11141/2015)**

**संदर्भः—** **आपका पत्रांक 219/पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0 ख0 दिनांक 13.02.2019**

**महोदय,**

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी/06/87/2016/एफ0सी0/1961 दि0 17.12.2018 द्वारा उक्त मोटर मार्ग हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है, उसके कम में शर्त सं0 01 से 08 तक की कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 11.318 हे0 ग्राम— मंजोखी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव उसके 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान यथा संशोधित दर रू0 278665/प्र0हे0 के अनुसार इस मद में कुल (278665X 11.318) = 3153930.47 या 3153930 (इकत्तीस लाख तिरपन हजार नौ सौ तीस) रूपये मात्र की धनराशि आपके स्तर से जमा की जानी है।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 02 के अन्तर्गत एन0पी0वी0 प्रस्ताव में त्रुटिवश 5313801.00 अकिंत की गई थी के सापेक्ष संशोधित दर जो कि ई0को0 क्लास 05 के अर्न्तगत है, जिसका घनत्व 0.4 प्रतिशत से अधिक है, धनराशि (845000X 5.659) = 4781855 (सैंतालीस लाख इक्कासी हजार आठ सौ पचपन रूपये मात्र) जमा की जायेगी। यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की दर में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि आपके द्वारा जमा की जायेगी।
3. शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, इस आशय का बचनबद्वता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आपके द्वारा आपके द्वारा प्रेषित किया जाना है।
4. उक्त समस्त धनराशि वन विभाग के कैम्पा मद अन्तर्गत प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना का प्राधिकरण के तर्थध निकाय क`लेखा सं0 एस0बी0—25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) ब्लांक—11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज—1 लोधी रोड नई दिल्ली—110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की कलर प्रमाणित छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक डॉफ्ट/चैक की प्रमाणित छायाप्रति का विवरण देना होगा।
5. सडक निर्माण के पश्चात जहां जहां सम्भव हो सडक के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जायेगा। इस आशय की बचन बद्वता का प्रमाण पत्र भी आपके द्वारा प्रेषित किया जाना है।

भवदीय,

(इन्दिरा उपाध्याय)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

2019.03.13 16:02

Ankush / landtransfer

Scanned by CamScanner

पत्रांकः– 1418/ 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्वक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक(Hoff), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी,वन सरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(इन्द्रेश उपाध्याय)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन।

2019.03.13 16:02

Scanned by CamScanner